न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः– राकेश कुमार मीना आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 01/2024
वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88 आरटीए

राहुरीत सिंह पुत्र बलतेज सिंह जाति जटसिख सा. रामपुरा नारायणपुरा तह. अबोहर जिला फाजिल्का

– वादी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1. बलतेज सिंह पुत्र रूप सिंह जाति जटसिख सा. रामपुरा नारायणपुरा तह. अबोहर जिला फाजिल्का
2. दीपइन्द्र कौर पुत्री रूप सिंह पत्नी सुखमन्द्र सिंह जाति जटसिख सा. जण्डवाला चडतसिंह वाला तह. मलोट जिला श्री मुक्तसर साहिब
3. सतवीर कौर पुत्री रूप सिंह पत्नी गुरलाल सिंह जाति जटसिख सा. शोभासिंह वाला तह. व जिला श्रीगंगानगर
4. पवनदीप कौर पुत्री बलतेज सिंह पत्नी अमरेन्द्र सिंह जाति जटसिख सा. महमा भलाड तह. व जिला बठिण्डा
5. सुखसागर कौर पुत्री बलतेज सिंह जाति जटसिख सा. रामपुरा नारायणपुरा तह. अबोहर जिला फाजिल्का
6. रीनकवल कौर पुत्री बलतेज सिंह जाति जटसिख सा. रामपुरा नारायणपुरा तह. अबोहर जिला फाजिल्का
7. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह. संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1– श्री नक्षत्र सिह सिद्धू वकील वादी
2– श्री गुरमीत सिंह कलसी – वकील प्रति सं. 1 ता 6
3– तहसीलदार राजस्व संगरिया– राज–पैरोकार प्रति.संख्या 7

निर्णय दिनांक :–

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादी व प्रति. सं. 1 ता 6 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है जो कि मृतक रूप सिंह के वारिसान है। वादी तथा प्रति. सं. 4 ता 6 की दादी तथा प्रति. सं. 1 ता 3 की माता गुरजीत कौर पत्नी रूप सिंह पुत्री पूर्ण सिंह उर्फ पुन्नु सिंह के नाम चक 10 के.एस.डी. के खाता सं. 13/10 खाता कपुर सिंह वगैरा ज.सं. 2070–73 में तथा इसी चक के खाता सं. 19/18 खाता दीपेन्द्र कौर वगैरा ज.सं. 2070–73 में गुरजीत कौर के फौत होने के बाद उनके वारिसान प्रति सं. 1 ता 3 के नाम तथा चक 12 के.एस.डी. खाता सं. 44/49 खाता गुरजीत कौर वगैरा ज.सं0 2071–74 में गुरजीत कौर के नाम आराजी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त चकों के उक्त खातों की जमाबंदीयां संलग्न वाद पत्र है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.03.14 17:09:41 IST
Reason: SelfAttested

दावा की दफा 3 में दर्ज वादग्रस्त आराजी गुरजीत कौर पत्नी रूप सिंह पुत्री पूर्ण सिंह उर्फ पुन्नु सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जो कि फौत हो गई है। तथा इनके फौत होने के बाद इनके वारिसान प्रति सं. 1 ता 3 ब.हि.ब. के विरास्तन हकदार है। प्रति सं. 2 व 3 ने अपनी माता गुरजीत कौर से प्राप्त अपने समस्त विरास्तन हक व हिस्सा का परित्याग अपने भाई प्रति सं. 1 के पक्ष में कर दिया है। इसी प्रकार प्रति. सं. 1 के हक व हिस्सा की आराजी उनके वारिसान वादी तथा प्रति सं. 4 ता 6 की जद्दी जायदाद है। जिसमें वादी तथा प्रति सं. 4 ता 6 का अपने पिता प्रति. सं. 1 के साथ जन्म से ही ब.हि.ब. का विरास्तन हक व हिस्सा बनता है। प्रति. सं. 1 ने अपनी माता से प्राप्त अपने समस्त हक व हिस्सा का प्रति. सं. 4 ता 6 ने अपनी दादी/पिता से प्राप्त समस्त विरास्तन हक व हिस्से का परित्याग अपने पुत्र/भाई के पक्ष में कर दिया है। अतः उक्त आराजी का वादी ही हकदार है। अतः गुरजीत कौर के नाम दर्ज तथा प्रति. सं. 2 व 3 के नाम दावा की दफा 3 में दर्ज समस्त आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में प्रति. सं. 2 ता 6 का कोई हक व हिस्सा नहीं है। इसी कदर की घोषणात्मक डिक्री वादी प्राप्त करने का अधिकारी एवं दावेदार है।

दावा की दफा 3 में दर्ज वादग्रस्त आराजी वादी के नाम दावा की दफा 4 के मुताबिक दर्ज नहीं होने के कारण वादी के खातेदारी अधिकारों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि आप दावा की दफा 3 में दर्ज आराजी का वादी को दावा की दफा 4 के अनुसार खातेदार काश्तकार होना मान लेंवे इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम से अंकन करवा देंवे तो इस पर पहले तो वे टालमटोल करते रहे किंतु अंत में पिछले सप्ताह प्रतिवादीगण वादी के इस निवेदन से स्पष्ट इनकार हो गए। बस यही वाद कारण है। प्रति सं. 7 को लैण्ड होल्डर होने के कारण औपचारिक पक्षकार बनाया गया है। इनके प्रति कोई प्रत्यक्ष अनुतोष नहीं चाहा गया है।

लिहाजा वाद वादी पेश कर निवेदन है कि चक 10 के.एस.डी. के खाता सं. 13/10 खाता कपुर सिंह वगैरा ज.सं. 2070–73 में तथा चक 12 के.एस.डी. खाता 44/49 खाता गुरजीत कौर वगैरा ज.सं. 2071–74 में गुरजीत कौर पत्नी रूप सिंह पुत्री पूर्ण सिंह उर्फ पुन्नु सिंह के नाम दर्ज आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में प्रति सं. 1 ता 6 का कोई हक व हिस्सा नहीं है। अतः इसी मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम अंकन किया जाकर उक्त चकों के उक्त खातो में से गुरजीत कौर पत्नी रूप सिंह पुत्री पुर्ण सिंह उर्फ पुन्नु सिंह का नाम कलमजन किया जावे तथा चक 10 के.एस.डी. खाता सं. [illegible] खाता दीपेन्द्र कौर वगैरा ज.सं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.03.14 17:09:41 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2070–73 मे ंप्रति सं. 2 व 3 के नाम दर्ज समस्त आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में प्रति सं. 2 व 3 का कोई हक व हिस्सा नहीं है। अतः इसी मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम अंकन किया जाकर उक्त खाता में से प्रति सं. 2 व 3 का नाम कलमजन किया जावे

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर अपना जवाबदावा पेश कर वाद को स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया गया। जवाब दावा के साथ आईडी की चित्रप्रति स्वहस्ताक्षरित पेश कि है। प्रतिवादी संख्या 7 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी राहुरीत ने अपना शपत्र पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है। वकील वादी एवं प्रतिवादीगण साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये। वकील वादीगण ने फार्म नं. 3 के साथ चक 10 केएसडी खाता सं. 13/10, 19/18 ज.सं. 2070–73 एव चक 12 केएसडी खाता 44/49, 44/45 ज.सं. 2071–74, 2067–70 तथा चक 10 केएसडी खाता सं. 57/54 ज.सं. 2066–69 नकल जमाबंदीयों की प्रमाणित प्रस्तुत की गई है।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक 10 के.एस.डी. के खाता सं. 13/10 खाता कपुर सिंह वगैरा ज.सं. 2070–73 में तथा चक 12 के.एस.डी. खाता 44/49 खाता गुरजीत कौर वगैरा ज.सं. 2071–74 में गुरजीत कौर पत्नी रूप सिंह पुत्री पूर्ण सिंह उर्फ पुन्नु सिंह के नाम अराजी दर्ज है एवं चक 10 के.एस.डी. खाता सं. 19/18 खाता दीपेन्द्र कौर वगैरा ज. सं. 2070–73 मे ंप्रति सं. 2 दीपइन्द्र कौर व प्रतिवादी संख्या 3 सतवीर कौर के नाम दर्ज जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी निवेदन किया कि वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी चक 10 के.एस.डी. के खाता सं. 13/10 खाता कपुर सिंह वगैरा ज.सं. 2070–73 में तथा चक 12 के.एस.डी. खाता 44/49 खाता गुरजीत कौर वगैरा ज.सं. 2071–74 में गुरजीत कौर पत्नी रूप सिंह पुत्री पूर्ण सिंह उर्फ पुन्नु सिंह के नाम अराजी दर्ज है एवं चक 10 के.एस.डी. खाता सं. 19/18 खाता दीपेन्द्र कौर वगैरा ज.सं. 2070–73 मे ंप्रति सं. 2 दीपइन्द्र कौर व प्रतिवादी संख्या 3 सतवीर कौर के नाम दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य [illegible]रान के मध्य कोई विवाद नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.03.14 17:09:41 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादी मुताबिक सहमति के जवाब दावा/पैतृक सम्पति के आधार पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी उक्त विवेचन के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि:– चक 10 के.एस.डी. के खाता सं. 13/10 खाता कपुर सिंह वगैरा ज.सं. 2070–73 में तथा चक 12 के.एस.डी. खाता 44/49 खाता गुरजीत कौर वगैरा ज.सं. 2071–74 में गुरजीत कौर पत्नी रूप सिंह पुत्री पूर्ण सिंह उर्फ पुन्नु सिंह के नाम दर्ज आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर उक्त आराजी में प्रति सं. 1 ता 6 का कोई हक व हिस्सा नहीं रहने के कारण उक्त खातो से गुरजीत कौर पत्नी रूप सिंह पुत्री पूर्ण सिंह उर्फ पुन्नु सिंह का नाम कलमजन किये जाने तथा चक 10 केएसडी खाता सं. 19/18 खाता दीपेन्द्र कौर वगैरा ज.सं. 2070–73 में प्रति. सं. 2 व 3 के नाम दर्ज समस्त आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर, प्रति. सं 2 व 3 का नाम कलमजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक.....................................को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.03.14 17:09:41 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88 आरटीए
प्रकरण संख्याः– 01/2024

राहुरीत सिंह पुत्र बलतेज सिंह जाति जटसिख सा. रामपुरा नारायणपुरा तह. अबोहर जिला फाजिल्का

– वादी

बनाम

1. बलतेज सिंह पुत्र रूप सिंह जाति जटसिख सा. रामपुरा नारायणपुरा तह. अबोहर जिला फाजिल्का
2. दीपइन्द्र कौर पुत्री रूप सिंह पत्नी सुखमन्द्र सिंह जाति जटसिख सा. जण्डवाला चडतसिंह वाला तह. मलोट जिला श्री मुक्तसर साहिब
3. सतवीर कौर पुत्री रूप सिंह पत्नी गुरलाल सिंह जाति जटसिख सा. शोभासिंह वाला तह. व जिला श्रीगंगानगर
4. पवनदीप कौर पुत्री बलतेज सिंह पत्नी अमरेन्द्र सिंह जाति जटसिख सा. महमा भलाड तह. व जिला बठिण्डा
5. सुखसागर कौर पुत्री बलतेज सिंह जाति जटसिख सा. रामपुरा नारायणपुरा तह. अबोहर जिला फाजिल्का
6. रीनकवल कौर पुत्री बलतेज सिंह जाति जटसिख सा. रामपुरा नारायणपुरा तह. अबोहर जिला फाजिल्का
7. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह. संगरिया

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिह सिद्धू वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री गुरमीत सिंह कलसी वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती हैः– चक 10 के.एस.डी. के खाता सं. 13/10 खाता कपुर सिंह वगैरा ज.सं. 2070–73 में तथा चक 12 के.एस.डी. खाता 44/49 खाता गुरजीत कौर वगैरा ज.सं. 2071–74 में गुरजीत कौर पत्नी रूप सिंह पुत्री पूर्ण सिंह उर्फ पुन्नु सिंह के नाम दर्ज आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर उक्त आराजी में प्रति सं. 1 ता 6 का कोई हक व हिस्सा नहीं रहने के कारण उक्त खातो से गुरजीत कौर पत्नी रूप सिंह पुत्री पूर्ण सिंह उर्फ पुन्नु सिंह का नाम कलमजन किये जाने तथा चक 10 केएसडी खाता सं. 19/18 खाता दीपेन्द्र कौर वगैरा ज.सं. 2070–73 में प्रति. सं. 2 व 3 के नाम दर्ज समस्त आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर, प्रति. सं 2 व 3 का नाम कलमजन किये जाने का आदेश दिया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.03.14 17:09:41 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नोट :— यदि वादग्रस्त आराजी बैंक रहन हो तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश होने पर ही राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे।

निज..............नल..............मुब्लिक.............निल..............बाबत्..............निल.............खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक............ अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 23.02.2024 को जारी किया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.03.14 17:09:41 IST
Reason: SelfAttested